गर्भपात:एक सामाजिक मुद्दा

राहुल शर्मा
(राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय)

सारांश

प्रत्येक समाज में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है वह समय-समय पर इस योगदान की प्रवृत्ति में बदलाव भी आता रहता है। महिला का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मां के रूप में होता है। परंतु यह भी समाज का गूढ़ सत्य है कि महिलाओं के साथ उनके लिंग के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं, कभी कार्यस्थल पर तो कभी घर की चारदीवारी के भीतर। यूं तो वह अनेकों समस्याओं की साक्षी बनती है परंतु सभी समस्या सामाजिक समस्या नहीं बनती है, और जब तक कोई समस्या सामाजिक समस्या नहीं बनती तब तक शायद ही किसी समाज में उस पर विचार किया जाता है।

सामाजिक समस्याओं के संदर्भ-निर्भर और समय-निर्भर प्रकृति को, पहचान कर प्राकृतिक घटनाओं के रूप में उन्हें सामाजिक रूप में बनाया जाता है। इस तरह के प्रतिबिंब के लिए गर्भपात एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शुरुआती दौर में पश्चिमी लोकतंत्रों में गर्भपात को सामाजिक समस्या नहीं माना जाता था, और आज भी कुछ गैर पश्चिमी देशों में इसे सामाजिक समस्या नहीं माना गया है। अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि यू.एस.ए, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में गर्भपात एक नैतिक समस्या के रूप में लेनदेन रहा है। (Dean,1992) । 21वीं सदी में भी भारत में अधिकांश महिलाएं अभी भी उचित गर्भपात सुविधाओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं; तमाम कानून और सरकारी प्रथाओं के बाद भी हमारे देश भारत की महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही है।

इस लेख के माध्यम से मैं गंभीर रूप से गर्भपात और उससे जुड़े विभिन्न कानून और वर्तमान समय में इसकी स्थिति के विषय में चर्चा करूंगा।

शब्दावली: *गर्भपात, सामाजिक समस्या, कानून, MTP, अधिकार, महिलाएं, सुविधाएं*

---

१. विषय-प्रवेश

गर्भपात को कानूनी और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग तरह से परिभाषित किया गया है। कानूनी तौर पर, गर्भपात को भ्रूण नष्ट करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से और समय से पहले प्रसव के रूप में परिभाषित किया है, यह बालक के जन्म से पूर्व कभी भी किया जा सकता। चिकित्सा क्षेत्र के अनुसार, गर्भपात को गर्भावस्था के 28वे सप्ताह से पहले बच्चे की असामयिक डिलीवरी के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में गर्भपात को सामाजिक मुद्दा समझकर इसके लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं, भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कानून बनाया गया है और आईपीसी की धारा 312 से 316 के तहत प्रेरित गर्भपात को दंडनीय बना दिया गया है।

गर्भपात के विषय में विविध प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है, जैसे- गर्भपात पर किसका अधिकार होना चाहिए? पश्चिमी देशों में गर्भपात संबंधी वाद-विवाद व कानून क्या रहे है? और भारत में गर्भपात संबंधित कानून कौन से हैं?

मौखिक तौर पर गर्भपात के विषय में विभिन्न बहस सामने आती हैं, परंतु यदि इनको समाज पर लागू करे तो पता चलता है कि आज भी अधिकांश गर्भपात गैर कानूनी तरीके से कराए जाते है, जिसका वर्णन आगे की चर्चा में किया गया है, जिसमे विभिन्न देशों के कानूनों का व आंकड़ों का संदर्भ लेकर चर्चा की गई है, व विभिन्न देशों की स्थिति का आकलन लगाने की चेष्टा की है। आमतौर पर गर्भपात के विषय में खुले तौर पर बात नहीं की जाती है, परंतु हर वर्ष हजारों महिलाएं विभिन्न कारणों से इसका सामना करती है। ऐसे में प्रश्न और भी पेचीदा हो जाता है कि गर्भपात पर आखिर किसका अधिकार होना चाहिए? क्या कानूनन इसे मान्यता देना उचित है? क्या आज भी गर्भपात से संबंधित कानून ठीक से लागू कर प्रयोग में लाए जाते है? यह मुद्दा ध्यान का विषय है जिसपर इस लेख में मैंने ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है।

२. गर्भपात: किसका अधिकार?

इस मुद्दे पर समय-समय पर अलग-अलग बहस हुई और कोई एक सार्वभौमिक कानून शायद ही बना हो कि 'गर्भपात पर किसका अधिकार है'। गर्भपात को एक अधिकार के रूप में देखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है और गर्भपात के अधिकार को इसी अधिकार से पढ़ा जा सकता है। हालांकि आईपीसी 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात पूरे भारत में अवैध घोषित किया गया है।(The Times of India)

मैक्लम के अनुसार चुनाव के किसी भी अर्थ के लिए महिलाओं को बच्चा पैदा करने के साथ-साथ उन्हें न चुनने (पैदा करने) में सक्षम होने के लिए शर्तों का अस्तित्व होना चाहिए। एक अन्य लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि गर्भपात के अधिकार का दावा करने से भ्रूण और पतियों द्वारा प्रतिवाद की संभावना खुल जाती है। गर्भपात के अधिकार के विषय में अक्सर महिलाओं का मत होता है कि गर्भपात पर महिलाओं का स्वयं का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भ्रूण उनके शरीर का एक हिस्सा है और उनका अपने शरीर पर हक है, तो उनका उनके भ्रूण पर भी हक होगा और वे गर्भपात का पूरा अधिकार चाहती है। परंतु चिकित्सा जगत के लोगों के विचार इनसे अलग हैं, डॉक्टरों का मानना है कि गर्भपात पर उनका अधिकार होना चाहिए, इसके लिए वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते उनका यह कर्तव्य होता है कि वह मरीज़ की जान बचाएं और इसलिए यदि गर्भपात बिना डॉक्टर की इजाजत के किया जाएगा तो उसमें महिला या माता की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर गर्भपात को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहते हैं,जिसके तहत यदि गर्भवती महिला 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात करवाना चाहती है तो उसे डॉक्टर की सलाह से ऐसा करना होगा; और यदि वह 12 से 20 सप्ताह में गर्भपात करना चाहती है तो दो डॉक्टरों की सलाह से ऐसा संभव होगा; 20 से 24 सप्ताह बाद गर्भपात करना हो तो यह राज्य स्तर की डॉक्टरों की बोर्ड समिति निर्धारित करेगी कि गर्भपात करना चाहिए अथवा नहीं।

बीते कुछ दशकों में भारत में गर्भपात के बहुत ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें गर्भपात केवल इसीलिए कराया गया क्योंकि गर्भ में कन्या शिशु थी। भारत के कई राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या की बहुत खबरें आई, जो कि दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई कुछ रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोगों की मानसिकता होती है कि बेटी का जन्म उनके हित में नहीं होगा, इसलिए वे भ्रूण में ही लिंग निर्धारण करवाते है, यदि जांच में कन्या होती है तो उसकी

हत्या अथवा गर्भपात करा देते हैं; इसी कारण 1994 में गर्भ में लिंग निर्धारण व जांच करवाना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।

३. पश्चिमी देशों में गर्भपात संबंधी वाद-विवाद व कानून

ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी के एक बड़े हिस्से के लिए गर्भपात प्रजनन नियंत्रण का एक सामान्य तरीका था।(gaurden, 1977) । इस अवधि में महिलाओं को परिवार के आकार को नियंत्रित करने की एक विधि के रूप में प्रेरित गर्भपात की ओर मोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि चिकित्सा पेशे ने गर्भनिरोधक के बारे में सलाह देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1860 के आसपास जन्म दर में आश्चर्यजनक गिरावट ने सभी पश्चिमी सरकारों का ध्यान आकर्षित किया।

जेम्स मोहर बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी के मध्य में एक चिंता का विषय यह भी था कि एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट महिलाएं बड़ी मात्रा में गर्भपात करा रही थी, परिणाम स्वरूप कैथोलिक साउदर्न यूरोपियन जो गर्भपात नहीं कर रहे थे उनकी और पलायन किया। इसी तरह कनाडा में भी फ्रांसीसी कनाडाई कैथोलिक ने विभिन्न गर्भपात प्रथाओं के कारण अंग्रेजी प्रोटेस्टेंट महिलाओं को बाहर निकालने की धमकी दी। ब्रिटेन में 1861 तक एक महिला के लिए खुद को गर्भपात कराना अपराध नहीं था, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए मॉडल बन गया। तत्पश्चात गर्भपात को गैरकानूनी घोषित किया; फिर वह चाहे गर्भवती महिला द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो।(Albery 1995:51) ।

इसे गैरकानूनी घोषित करने में चिकित्सा पेशे की एक अहम भूमिका रही। **जेम्स मोहर** और **बरबरा ब्रुक्स** ने क्रमशः अमेरिका और ब्रिटेन में चिकित्सा पेशे पर लगातार लगाए गए दबाव पर जोर दिया। परंतु बाद में सुधार की अवधि में गर्भपात कानूनों में उदारीकरण की शुरुआत चिकित्सा पेशे की स्थिति में बदलाव के कारण हुई। ब्रुक्स के अनुसार इंग्लैंड के 1967 के कानून सुधार विधायक के लिए एक प्रमुख कारक यह था कि चिकित्सा पेशे में चिकित्सक प्रतिबंध कानूनों की आवश्यकता ही नहीं थी। 1960 के दशक के बाद से अधिकांश यूरोपीय देश गर्भपात को वैध बनाने के लिए आगे बढ़े हैं।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में गर्भावस्था की समाप्ति सामाजिक आधार पर या अनुरोध पर भी उपलब्ध इस अवधि के बाद (दूसरी तिमाही के बाद) गर्भवती महिला के जीवन को बचाने या गंभीर भ्रूण असमानता जैसे विशिष्ट कारणों को छोड़कर गर्भपात निषिद्ध है।

क्योंकि गर्भपात पश्चिमी समाज में सबसे विभाजनकारी मुद्दों में से एक है इसीलिए महिलाओं की गर्भपात तक पहुंच को सीमित करने के लिए, वैकल्पिक रूप से व नियमित रूप से बहस तेज हो जाती है। यूरोपीय देशों में जहां हाल ही में लिथुआनिया(2018), नॉर्वे(2018), पोलैंड(2016), स्लोवाकिया(2018), स्पेन(2014) जैसे देशों में गर्भपात की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

४. भारत में गर्भपात संबंधी कानून व वाद विवाद

४.१ आपातकालीन गर्भनिरोधक

गर्भपात विरोधी समूहों ने गर्भपात तक पहुंच को सीमित करने की व्यापक रणनीति के तहत आपातकालीन तौर पर अपनाए जाने वाले गर्भ निरोधकों पर प्रहार किया है। केरल उच्च न्यायालय का इस मुद्दे पर निर्णय चिकित्सा और सरकारी मानदंडों के अनुरूप है। स्पष्टतः आपातकालीन गर्भनिरोधक व गर्भावस्था की समाप्ति को अलग करता है।

४.२ जबरन गर्भपात

भारतीय दंड संहिता की धारा 313 “महिला की सहमति के विरुद्ध गर्भपात” पर रोक लगाती है, जबकि धारा 314 “गर्भपात का कारण बनने के इरादे से किए गए कार्य के कारण मृत्यु” को अपराधी बनाती है। अदालतो द्वारा जबरन गर्भपात का भारतीय दंड संहिता की धारा 313-314 के उल्लंघन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में मूल्यांकन करती हैं। इसी संदर्भ में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 में गर्भपात प्रदाता के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकताओं व सुविधा पंजीकरण के लिए न्यूनतम सुविधा मानकों का विवरण दिया गया है।

४.३ गर्भपात: मौलिक अधिकार?

भारतीय अदालतों ने एक महिला को यह तय करने का अधिकार दिया है कि वह गर्भावस्था जारी रखेगी या नहीं। गर्भावस्था एक महिला के शरीर के भीतर होती है और उसके स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, वह इस गर्भावस्था से कैसे निपटना चाहती है, यह निर्णय वह और वह अकेले कर सकती हैं। अपने शरीर और प्रजनन क्षमता और मातृत्व विकल्पों को नियंत्रित करने का अधिकार केवल महिलाओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालयों ने नियमित रूप से यह माना है कि बलात्कार से बचे लोगों को गर्भधारण के लिए मजबूर करना उनके जीवन और गरिमा के अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन है। गर्भपात विरोधी कार्यकर्ताओं ने एमटीपी अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अदालतें सुरक्षित गर्भपात और सेक्स के आधार पर भेदभाव तक पहुंच को जोड़ने पर पूरी तरह चुप हैं। इस संकलन के लिए समीक्षा किए गए सैकड़ों निर्णयों में से किसी में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 15 का उल्लेख नहीं है। परन्तु 1960 तक भारतीय दण्ड संहिता (IPC) धारा 312 में भारत में गर्भपात के अवैध माना गया, जिसके लिए 3 वर्ष कैद अथवा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था।

एमटीपी- मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट भारत सरकार ने 1964 में एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता शांति लाल शाह ने की समिति का कार्य गर्भपात कानूनों के उदारीकरण से संबंधित समस्याओं को समझना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना था। संसद ने 1970 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल लाया जो कि ब्रिटिश लॉ ऑफ अबॉर्शन 1968 पर आधारित था। अधिनियम के तीन मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

1.जब माता की जान को खतरा हो अथवा महिलाओं के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।
2.गर्भावस्था किसी मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ बलात्कार या संभोग के कारण होता है।
3.जब यह जोखिम हो कि बच्चा बीमारियों अथवा विकृतियों के साथ जन्म लेगा।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 (एमटीपी) पहले अवैध गर्भपात की रक्षा में सक्षम नहीं था। MTP-मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से पहले एक अनुमान के , हर साल लगभग 500 मिलियन गर्भपात किए जाते थे जिसमें से लगभग 30 लाख अवैध थे इसमें दुखद बात यह है कि इसमें अभियोजन दर एक प्रतिशत भी नहीं है।

“नाबालिगों को एक विशेष श्रेणी के रूप में शामिल किया गया था, क्योंकि देखा गया कि उनमें से बड़ी संख्या में 20 सप्ताह से अधिक गर्भधारण को समाप्त करने की अनुमति के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। भ्रूण की असामान्यताओं और बलात्कार से बचे लोगों के बाद वे तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी थीं।

एक और अध्ययन बताता है कि भारत में गर्भवती होने वाली 1/7 महिलाएं गर्भपात कुछ अनुभवहीन डॉक्टरों, अयोग्य नर्सों से करवाती हैं, और कई बार यह अयोग्य अपंजीकृत चिकित्सक अपनी हताशा के कारण मरीज़ का शोषण भी करते हैं। वे गर्भपात के लिए एक बड़ी रकम मांगते हैं, और मरीज कानूनी समस्याओं से स्वयं को बचाने के लिए वह रकम दे भी देता है। प्रतिज्ञा अभियान, सुरक्षित गर्भपात देखभाल तक पहुंच के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संगठनों के गठबंधन ने मांग की है कि गर्भवती महिला के अनुरोध या निर्णय के अनुसार 12 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि सिर्फ एक सशर्त अधिकार के आधार पर डॉक्टर की राय पर। एक अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं की कुल मृत्यु का लगभग 3.5 से 4 प्रतिशत गर्भपात से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के कारण होती है।

2021 में गर्भपात कानून में बदलाव करते हुए संसद द्वारा 20 सप्ताह तक के गर्भधारण हेतु डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात की अनुमति दी। क्योंकि ऐसा माना गया की 20 से 24 सप्ताह के बीच के गर्भधारण हेतु 2 डॉक्टरों की सलाह जरूरी होती है। संशोधित कानून में यह तय करने के लिए राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान है ताकि वो देख सके कि क्या भ्रूण की पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। इस नियम में महिलाओं की 7 श्रेणियां बताई गई है, जो MTP अधिनियम की धारा 3(b) के तहत समाप्ति हेतु मांग करने के लिए पत्र होगी:

- अवयस्कता
- यौन हमले अथवा बलात्कार जैसी स्थिति में
- विधवा या तलाकशुदा, अर्थात वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की गर्भावस्था
- शारीरिक तौर पर विकलांग महिला (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्धारित मानदंड के अनुसार बताई गई विकलांगता)
- मानसिक रूप से बीमार व मानसिक मंदता वाली महिलाएं
- भ्रूण की विकृति के कारण
- मानवीय आधार अथवा अपड़ाओ या आपात स्थिति में गर्भावस्था वाली महिलाएं।

इस प्रकार संशोधित कानून में यह तय करने के लिए राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान है कि क्या भ्रूण की पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में अपने फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता गरिमा और गोपनीयता के अधिकार द्वारा एक अविवाहित महिला को ये हक है कि वह एक विवाहित महिला की ही तरह बच्चे को जन्म दे सकती है अथवा नहीं, व अदालत ने कहा कि गर्भपात यदि बलात्कार के मामले में कराया गया है तो उसमे वैवाहिक बलात्कार भी शामिल है। इस मामले में उस पर अदालत ने MTP(Medical Termination of Pregnancy Act) एक्ट की व्याख्या करते हुए बोला कि किसी महिला का विवाहित या अविवाहित होना उससे उसके गर्भपात करवाने के अधिकार को छीन नही सकता, अर्थात उसे दोनो मामलों में MTP एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात कराने का अधिकार है।

निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से भारत में गर्भपात के कारणों का पता लगाया जा सकता है:
भारत में 2015 के आंकड़ों के आधार पर गर्भपात की दर:

- सबसे कम: तमिल नाडु (32.8)
- सबसे ज्यादा: असम (66.2)

- अन्य: गुजरात (47.6)

बिहार(49.4)

मध्य प्रदेश (57.3)

उत्तर प्रदेश (61.1)

५. निष्कर्ष

भारत सरकार ने गर्भपात को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में स्वीकार किया और सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेकों काम भी किए हैं। परंतु यह पर्याप्त नहीं है, और हाल के वर्षों में यदि देखें तो कई गैर सरकारी संगठनों और संगठनों के कई लोगों ने सुरक्षित गर्भपात कराने में मदद भी की है। इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना है। इसके लिए लोगों को विभिन्न गर्भनिरोधक तरीकों और गर्भपात कानूनों के विषय में बताने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग MTP एक्ट से अनजान हैं।

लिंग निर्धारण परीक्षण 1994 से अवैध किया गया है व IPC 1860 की धारा 312 से 316 तक गर्भपात के बारे में बात की गई है और इसे अवैध करार दिया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 भी गर्भपात संबंधी एक महत्वपूर्ण एक्ट रहा है। 3.5 से 6 प्रतिशत महिला की गर्भपात उत्पन्न जटिलता से मृत्यु हो जाती है। अमेरिका (1910), ब्रिटेन (1967), कनाडा (1869) में अवैध घोषित कर दिया गया है। पश्चिमी देशों में 1995 में 46 मिलियन 2003 में 42 मिलियन गर्भपात किए गए। भारत में 2015 में अनुमानित 15.6 मिलियन गर्भपात किए गए थे। भारत में अनपेक्षित गर्भावस्था की घटनाओं का भी अनुमान लगाया गया, जिसमें पाया गया कि 2015 में कुल 48.1 मिलियन गर्भधारण में से लगभग आधे अनपेक्षित है। (National Estimate of Abortion in India, n.d.)

वर्तमान में गर्भपात पूरी तरह कानून मुक्त नहीं है, महिला कुछ शर्तों के आधार पर ही गर्भपात करा सकती है। हमें अधिनियम को मुक्त बनाने की आवश्यकता है तभी हमारी माताओं को निजता का अधिकार और सही मायने में स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है। अतः अब समय बाद विवादों से मुक्त होकर जन-जन में गर्भनिरोधक व गर्भपात कानूनों के विषय में जानकारी पहुंचाने का है। क्योंकि यह एक महिला की निजी समस्या नहीं है, अपितु देश की आधी जनसंख्या व उसके भविष्य का प्रश्न है।

ग्रंथ-सूची

1. Abortion: (2020). History and Law in India. Ijlmh.Com.
2. Abortion law reform in Europe: The 2018 Belgian and Irish Acts ok termination of pregnancy, Dien de meyer, Article Sage Journals.
3. A Review of Abortion Laws in Western-European Countries, A Cross-National Comparison of legal developments between 1960 and 2010. (2014, October). 95-104.
4. Bachhi. (1999a). Women, policy and politics.
5. National Estimate of Abortion in India. (n.d.).
6. Abortion in India. (2021, June 29). https://M.Timesofindia.Com/Amp_home.
7. Chandra. (2021, October 30). New abortion rules recognise minors as vulnerable, seek to make services more accessible to them but mandatory reporting, social stigma pose hurdles. Thehindu.Com